फा. सं. ऐरा/20010/आरएफई/ तकनीकी अध्ययन/प्रमुख हवाईअड्डे/2021-22

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 06 अप्रैल, 2022

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2022-23</u>

विषय: पूंजीगत व्यय का मूल्यांकन करने और अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों के लिए एजेंसियों का पैनल बनाने के संबंध में

कृपया ऐरा के दिनांक 15.02.2022 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से उपर्युक्त के संबंध में सम्मति मांगी गई थी। दर्शाई गई रूचि के आधार पर भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने पूंजीगत व्यय का मूल्यांकन करने और अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों में ऐरा की सहायता करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों का पैनल बनाया है।

क्र. सं.	एजेंसी का नाम
01	मैसर्स किटको लिमिटेड
02	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
03	मैसर्स राइट्स लिमिटेड

1. उपुर्यक्त पैनल 01.04.2022 से 31.03.2024 तक दो (02) वर्ष के लिए वैध होगा। कार्य-निष्पादन संतोषजनक होने की शर्त पर वैधता एक (01) वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
2. प्राधिकरण को अपने विवेक से किसी भी एजेंसी को शामिल करने/हटाने का अधिकार है।
3. पैनल में शामिल किसी भी एजेंसी को ऐरा के पैनल में शामिल कर लिए जाने मात्र से कार्य सौंपने की गांरटी नहीं है।
4. ऐरा को पैनल में शामिल एजेंसियों से तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित करने और एलसीएम, क्युसीबीएस आदि या संविदा देने के लिए उपयुक्त किसी अन्य मूल्यांकन मॉडल के आधार पर इनका मूल्यांकन करने या नामांकन आधार पर एजेंसी को कोई भी परियोजना या अध्ययन करने का कार्य सौंपने का अधिकार है।
5. ऐरा यदि चाहे तो किसी भी निर्माण कार्य/ सुपुर्द काम के लिए खुली निविदाएं मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और पैनल में शामिल एजेंसियों को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. ऐरा को पैनल में शामिल उन एजेंसियों को पैनल से हटाने का अधिकार है जो पैनल बनाने के बाद ऐरा द्वारा आमंत्रित लगातार तीन (03) बोलियों में भाग नहीं लेगी।
7. ऐरा को किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना एजेंसी के इस पैनल को रद्द करने का भी अधिकार है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)